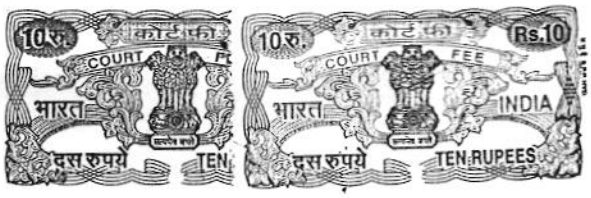

(142)

Entry / 150

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, शिविर, भोपाल

निगरानी 692-PBR-15 प्रकरण क्रमांक

छोटेलाल आत्मज श्री नन्हेंसिंह दांगी निवासी

ग्राम गैहूंरास तहसील बेगमगंज जिला रायसेन ---- निगरानीकर्त्ता

विरुद्ध

१- सरदारसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह दांगी,

२- शिवसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह दांगी,

३- रामसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह दांगी,

४- महाराजसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह दांगी

५- रुपसिंह आ० श्री गंधर्वसिंह दांगी

क्रमांक १ से ५ तक निवासीगण ग्राम गैहूंरास

तहसील बेगमगंज जिला रायसेन (म०प्र०),

६- श्रीमति गोमतीबाई पत्नी श्री मेहताबसिंह

निवासी ग्राम पढा तहसील व जिला सागर,

७- श्रीमति हरबाई पत्नी श्री रामजी निवासी

ग्राम बरोदा तहसील व जिला सागर,

८- बुन्देलसिंह आ० श्री कल्याणसिंह

९- शिवराजसिंह आ० श्री कल्याणसिंह

क्रमांक ८ व ९ निवासीगण ग्राम गैहूंरास

तहसील बेगमगंज जिला रायसेन (म०प्र०)

१०- श्रीमति भूरीबाई पत्नी श्री भगवानसिंह

निवासी ग्राम गोरखी तहसील बेगमगंज

जिला रायसेन (म०प्र०)

११- श्रीमति मोहरबाई पत्नी श्री रामजी निवासी

ग्राम धनोरा तहसील राहतगढ़ जिला सागर,

१२- श्रीमति गोपीबाई पत्नी श्री गोदनसिंह निवासी

ग्राम कैसली तहसील कैसली जिला सागर,

१३- श्रीमति कुसुमबाई पत्नी श्री राजारामसिंह

निवासी ग्राम टेकापार तहसील बेगमगंज

जिला रायसेन (म०प्र०) -------प्रतिनिगरानीकर्त्तागण

म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा ५० के अन्तर्गत निगरानी

---२

महोदय,

निगरानीकर्त्ता द्वारा विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बेगमगंज जिला रायसेन के प्रकरण क्रमांक ७अ-६।१३-१४ में पारित आदेश दिनांक ७-३-१५ से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

---०००---

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम विनायकपुर प० ह० नं- ७, खसरा नंबर १५१।१।१ रकबा २३-२७ एकड़ भूमि का नामांतरण पंजी क्रमांक ६ आदेश दिनांक २१-८-११ पर सहमति के आधार पर हुए नामांतरण के विरुद्ध समय सीमा बाद अपील प्रति-निगरानीकर्त्ता क्रमांक १ से ७ द्वारा प्रस्तुत की गई जिसके साथ धारा ५ का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका निगरानीकर्त्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निगरानीकर्त्ता के जवाब को अस्वीकार करते हुए धारा ५ स्वीकार की गई।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

:: निगरानी के आधार ::

१- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि, विधान एवं प्रक्रिया के विपरित होकर निरस्ती योग्य है।

२- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा ५ पर सुनवाई करने के पूर्व सभी पक्षों को सुने बिना ही एवं सूचना पत्र जारी किए बिना ही धारा ५ स्वीकार कर वैधानिक भूल की है।

३- यह कि प्रतिनिगरानीकर्त्ता ने अपने धारा ५ के आवेदन में किस प्रकार आदेश की जानकारी हुई कहीं भी स्पष्ट नहीं किया मात्र आवेदन में लिखा है कि दिनांक २१-१-१४ को नकल आवेदन पेश किया उसी दिनांक अपील पेश कर दी जो कि संभव नहीं है इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने धारा ५ स्वीकार कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है।

४- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिनिगरानीकर्त्ता क्रमांक १ से ७ पक्षकार नहीं थे इसके बाद भी पहले अपील अनुमति के आवेदन

---३

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 692-पीबीआर/2015 जिला रायसेन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो। उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	